70/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 70/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम सहायक निर्वाचन अधिकारी (उपपंजियक), श्रीगंगानगर

06–02–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 14.01.2016 के द्वारा उपपंजियक, श्रीगंगानगर से चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 14.01.2016 के द्वारा उप पंजियक श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

> 1. आपका पत्रांक 1877 दिनांक 17.12.15 का प्रार्थी को दिनांक 13.01.2016 को प्राप्त हुआ है यह पत्र डाकखाना या संचार माध्यम को जिस दिन प्रार्थी को सुपुर्दगी हेतु सौपा गया उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 2. प्रार्थी के पत्र प्रेषण करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
> 3. पत्र प्रेषण भेजने के प्रमाण स्वरूप डाक की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 4. पत्र प्रेषण पजिका में दर्ज होने के उपरान्त यह पत्रांक 1877 दिनांक 17.12.15 सचांर माध्यम को भेजने तक जिस कर्मकार व अधिकारी के पास रहा उसका नाम व पद की सूचना।
> 5. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र प्रेषण पंजिका में पत्र दर्ज होने के उपरान्त जिस दिवस तक संचार माध्यम से भेजा जाना आवश्यक है उस दिवस की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उप पंजियक) श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 594 दि0 06.05.2016 के साथ अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना के पत्र संख्या 386–90 दिनांक 29.03.16 की प्रति प्रस्तुत की है जिस अनुसार अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

> उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख कि आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु वार निम्न प्रकार हैः–
> 1. आप द्वारा चाही गई पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।
> 2–3. शिकायत कर्ता द्वारा कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश न करने के कारण मुताबिक रिकार्ड पुनः प्रकरण दर्ज नही पाया गया है।
> 4. वर्ष 2008 में श्री रामस्वरूप, उपपंजीयक व श्री लक्ष्मण सिंह, वरिष्ठ लिपिक कार्यरत थे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

70/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने अपीलार्थी के आवेदन पत्र में अंकित सूचना और लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजियक श्रीगंगानगर के पत्र सं0 29.03.16 का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 5 बिन्दुओ की सूचना के संबंध जो उक्त उत्तर दिनांक 29.03.16 अपीलार्थी को दिया गया है वह अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओ से संबंधित प्रतीत नही होता है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपपंजियक श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र सं0 5675 दिनांक 14.01.16 में अंकित 5 बिन्दुओ की चाही गई सूचनांओ का सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत आदेश प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर भीतर बिन्दुवार निस्तारण करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपपंजियक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर